सम्पादक की कलम से

यह चाय के प्याले में कहावती तूफान था या और कुछ, वास्तविकता यही है कि न्यायपालिका की असलियत सामने आ गई। निष्पक्षता, जिसके लिए वह जानी जाती है, हिल गई है। पहली बार न्यायाधीश लोगों के सामने हैं।

मैंने यह बेहतरीन सुर्खी एक उर्दू अखबार में देखी। उसने कहानी बता दी, लेकिन बहुत कुछ अनकहा छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के चार जजों- जस्टिस जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी. लोकुर तथा कुरियन जोसेफ ने इतिहास बना दिया जब उन्होंने इस बारे में अपना पक्ष बताने के लिए प्रेस कांफ्रेंस कर दी कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा क्या करते आए हैं।

उनकी दलील है कि मुख्य न्यायाधीश ओहदे में बराबरी वाले लोगों के बीच पहले नंबर पर हैं, न उससे कम, न ज्यादा। लेकिन, उनका आरोप है कि मुख्य न्यायाधीश हर जगह खुद ही दिखाई देते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से चार जजों का सार्वजनिक रूप से सवाल करना सभी को उलझन में डाल गया है। लेकिन सरकार ने सही किया कि कोई दखलंदाजी नहीं की और न्यायाधीशों को खुद ही मामला सुलझाने के लिए छोड़ दिया। जाहिर है, चार जजों की प्रेस कांफ्रेंस से पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को 'झटका' लगा। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा ने अपनी प्रतिक्रिया में यह सवाल किया कि ऐसी उबलती हुई परिस्थिति दो महीने तक लंबित कैसे रही। 'मैं आज की घटना से परेशान हूं। सर्वोच्च न्यायालय जैसे संस्थान के मुखिया रह चुके व्यक्ति के लिए आज जो हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण और दुख देने वाला है। जजों के पत्र, जिसे सार्वजनिक किया गया, पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने ठीक ही कहा कि मुख्य न्यायाधीश को जजों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी और मामला सुलझाना चाहिए था। चार जजों की ओर से उठाए गए मुद्दे बड़े न हों, लेकिन उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए था क्योंकि इसके बाद से जब चेलमेश्वर ने मेडिकल कालेज घोटाले की जांच की मांग करने वाली याचिका को पांच सीनियर जजों की खंडपीठ को भेज दिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे सबसे सीनियर जज आपस में भिड़े हुए थे। इस घोटाले में उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आईएम कुद्दुसी के शामिल होने का अनुमान है। लेकिन जस्टिस चेलमेश्वर के फैसले को पांच सदस्यीय खेडपीठ ने यह कहकर उलट दिया कि काम की सूची में नाम डालने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को है और सिर्फ वह ही किसी खंडपीठ को कोई मामला सौंप सकते हैं।

वैसे भी हाल के दिनों में, सर्वोच्च न्यायालय में खंडपीठों का गठन संविधान में लिखे के खिलाफ रहा है। संविधान इस बारे में एकदम स्पष्ट है कि संवैधानिक मामले पांच जजों की खंडपीठ में सुने जाएंगे। लेकिन हाल के दिनों में हुआ यह है कि इसे दो या तीन जजों के न्यायालय में भेजा गया है। इससे न केवल उच्चतम न्यायालय के साथी जजों का भरोसा कम हुआ है, बल्कि इसके नतीजे के रूप में संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

जजों में आपसी मतभेद कोई नया नहीं है। पहले भी इसके उदाहरण हैं कि खास मुद्दों पर उनकी आपस में लड़ाई हुई है। सत्तर तथा अस्सी के दशक में जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ और उनके उत्तराधिकारी जस्टिस पीएन भगवती तथा नब्बे के दशक में जस्टिस एएम अहमदी तथा जस्टिस कुलदीप सिंह के बीच टकराव को 'विद्रोह' नहीं बल्कि 'अनुशासनहीनता' माना गया था।

जो भी मतभेद हों कार्यरत जजों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस करने से संस्थान के सच्चेपन तथा सुप्रीम कोर्ट की नैतिक ताकत को नुकसान पहुंचा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में चार जजों ने उचित ही उनसे आग्रह किया है कि वह सुधार के कदम उठाएं ताकि जज इसी तरह के अन्य न्यायिक फैसलों के बारे में उन्हें जानकारी दे सकें जिनसे मुख्य न्यायाधीश को निपटना है। कानून के राज पर आधारित हमारी कानूनी व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश समेत कोई भी इससे ऊपर नहीं है। बेशक, भारत के मुख्य न्यायाधीश को खंडपीठ गठित करने का अधिकार है, लेकिन यही माना जाता है कि वह इस अधिकार का उपयोग न्यायोचित तरीके से करेंगे, मनमाने ढंग से नहीं। सरकार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कानून, जिसे जजों ने खारिज कर दिया है, को लागू करने का मौका देख रही है।

दुर्भाग्य से जजों ने यह नहीं समझा है कि मौजूदा विवाद के जरिए वे उसे इसका रास्ता दे चुके हैं जिसका उपयोग वह जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कर सकती है। भारत सौभाग्यशाली है कि आजादी के बाद से इसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। लेकिन दो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के एचआर खन्ना तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा ऐसे समय में उसे ऐसी बुलंदी पर ले गए जब न्यायपालिका बुजदिल थी और अपना-अपना घर भरने का फैशन था। खन्ना ने आपातकाल के समय यह अच्छी तरह जानते हुए सच बोला था कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने अपने चार साथियों से मतभेद जाहिर किया और फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उनकी जगह किसी और को पदोन्नत कर दिया गया और विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा के इस साल अक्टूबर में रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जस्टिस रंजन गोगोई का नंबर आता है। उनके साथ वही हो सकता है जो सालों पहले जस्टिस खन्ना के साथ हुआ था। लेकिन जस्टिस खन्ना के फैसले ने भारत के लोगों को भरोसा दिया कि सच को कायम रखने वाले जज भी हैं जबकि सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति ने पद पर टिके रहने के लिए समझौता किया। खन्ना ने राष्ट्र को बताया कि एक लोकतांत्रिक समाज के आधारभूत मूल्यों की मांग है कि हर व्यक्ति कुछ सावधानी दिखाए तथा त्याग के लिए तैयार रहे। यह लक्ष्य भारत के लिए अभी भी दूर है। इन उदाहरणों के बावजूद, न्यायपालिका अपनी चमक खो रही है। न्याय पाने को लेकर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। यह सिर्फ सुनवाई में होने वाली देरी के कारण नहीं, बल्कि इस धारणा के कारण भी कि जजों से मनचाहा कराया जा सकता है।

मुवक्किल तथा वकील कथित तौर पर खास जज के यहां सुनवाई कराने की साजिश करते हैं। कुछ साल पहले भ्रष्टाचार नाम का शब्द लोगों ने नहीं सुना था। यह आज हर एक की जुबान पर है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब फैसले लोगों के समर्थन में, कमजोरों के समर्थन में और पर्यावरण के समर्थन में होते थे। कानून की व्याख्या इस तरह की जाती थी कि आम लोगों को राहत मिले और लुटेरे बिल्डरों के खिलाफ हरियाली की रक्षा की जाती थी। न्यायपालिका, खासकर उदारीकरण के बाद से, शक्तिशाली और पौधों तथा जानवरों को नष्ट करने वालों के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है। न्यायपालिका ने विधायिका के अधिकारों को हथियाने का प्रयास भी किया है।

न्यायपालिका सार्वजनिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। राजनीतिज्ञों को सिर्फ कानून के जरिए अनुशासित किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज सिर्फ अपने बारे में सोचें, कानून के बारे में नहीं, तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है।

दावोस में मोदी: 'भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ'

दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक सहयोग संगठन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए जिस तरीके से भारतीय संस्कृति से जुड़े उद्धरणों से विश्व को परिचित करवाया उससे हिंदी फिल्म पूरब और पश्चिम का गीत स्मृति पटल पर उभर आता है कि 'भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं'। अपने 50 मिनट से अधिक लंबे भाषण में मोदी भारत के हित में भारत की बात और भारतीय के रूप में ही करते दिखे। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि जहां जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आतंकवाद और दुनिया का आत्मकेंद्रित होना मानवता के लिए खतरनाक बन रहा है वहीं इन समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो भविष्य में मानवता बहुत बड़े संकट में फंस सकती है। अपने भाषण में मोदी भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ देश के सांस्कृतिक दूत के रूप में भी नजर आए। उन्होंने भारत के वर्तमान विकास, परिवर्तन, भविष्य के साथ-साथ गौरवशाली अतीत का भी खूब बखान किया।

फोरम में 23 जनवरी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। अतीत के बहुत से नेताओं के विपरीत उन्होंने हिंदी में दुनिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 4 जरूरतों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगल वे वेल्थ के साथ वेलनेस चाहते हैं तो भारत आएं। मोदी ने कहा, तीन चुनौतियां मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। पहली जलवायु परिवर्तन है। मौसम के चर्मोत्कर्ष का प्रभाव दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। होना ये चाहिए था कि हमें एकजुट होना था। लेकिन, हम ईमानदारी से पूछें कि क्या ऐसा हुआ? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में मानव की पहचान बताई गई कि 'माता भूमि, पुत्रोहम् पृथ्विया' अर्थात हम सभी मानव धरती माता की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो आज मानव और प्रकृति के बीच ये जंग क्यों चल रही है। मोदी ने दूसरी चुनौती आतंकवाद व इसको लेकर किए जाने वाले भेद को बताया। तीसरी चुनौती में मोदी ने बहुत से समाज और देश आत्मकेंद्रित होते जाने को बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विकरण अपने नाम के विपरीत सिकुड़ता चला जा रहा है। इस तरह की सोच को हम कम खतरे के तौर पर नहीं आंक सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की दीवारें और खिड़कियां सभी तरह से बंद हों। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर में पूरी आजादी से आ-जा सके। लेकिन, इस हवा से मेरे पैर उखड़ जाएं, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। आज का भारत गांधी के इसी दर्शन और चिंतन को अपनाते हुए, पूरे आत्मविश्वास और निर्भीकता के साथ पूरे विश्व से जीवनदायिनी तरंगों का स्वागत कर रहा है।

नरेंद्र मोदी ने 4 जरूरतों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सबसे जरूरी ये है कि विश्व की बड़ी ताकतों के बीच सहयोग बढ़े, प्रतिस्पर्धा दीवार बनकर ना खड़ी हो जाए, साझा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें अपने मतभेदों को दरकिनार कर लार्जर विजन के तहत साथ काम करना होगा। दूसरी आवश्यकता नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का पालन करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे चारों ओर होने वाले बदलाव अनिश्चितताओं को जन्म दे सकते हैं। तब अंतरराष्ट्रीय कानून और नियमों का सही अर्थों में पालन जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि विश्व के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में सुधार की जरूरत है। सहभागिता और लोकतंत्रिकरण को आज के माहौल के अनुरूप बढ़ावा देना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें विश्व की आर्थिक प्रगति में और तेजी लानी होगी। इस बारे में हाल के संकेत उत्साहजनक हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिवोल्यूशन नए समाधानों की संभावना बढ़ाते हैं, जिससे गरीबी और बेरोजगारी का नए सिरे से मुकाबला कर सकते हैं।

उल्लेखनीय बात है कि प्रधानमंत्री ने केवल इन समस्याओं का जिक्र ही नहीं किया बल्कि इनके समाधान का वह मार्ग भी दुनिया को दिखाया जो हजारों सालों पहले हमारु ऋषि-मुनियों ने मानवता को दिया। उपनिषदों का जिक्र करते हुए उन्होंने 'सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषाव है' का रास्ता दिखाया। जिसका भाव है कि हम सभी मिल कर आगे बढ़ें, मिल कर नई ऊर्जा के साथ काम करें और हममें परस्पर द्वेष न हों। आज के दौर में जब आत्मकेंद्रित विश्व व समाज की बात की जा रही है तो यह घोष हमारा समुचित मार्गदर्शन कर सकता है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी है कि हर व्यक्ति व हर समाज परस्पर निर्भर करता है। दुनिया में कहीं भी कोई घटना-दुर्घटना होती है तो उसका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए आज सीरिया व अरब देश जहां आतंकवाद की आग में सर्वाधिक जल रहे हैं तो इससे केवल यही देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। अपने भाषण में मोदी ने एक अन्य उपनिषद मंत्र का प्रयोग किया 'सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चिददुःखभाग्भवे।' अर्थात केवल मेरा नहीं सभी का भला हो, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों। सभी की भावना में मेरी सुरक्षा, मेरे हित भी निहित हैं। मेरा कल्याण सभी के कल्याण में है। वसुधैवकुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया मेरा परिवार है। इन सिद्धांतों को मानने वाला दुनिया में कभी आतंकवाद, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की बात सोच भी नहीं सकता।

दुनिया में जब वैश्विकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव कम हो रहा है तो उसके सामने विकल्प है वसुधैवकुटुंबकम का। दुनिया के सभी लोग धरती को अपनी जननी मानें और उतना ही लें जितनी कि आवश्यकता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने का इससे अधिक सार्थक कोई मार्ग फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। जब दुनिया का हर व्यक्ति सहोदर भाई लगने लग जाएगा तो कौन आतंकी बन कर दूसरे की हत्या करेगा? दुनिया को अगर सुरक्षित रखना है, परस्पर मेलजोल बढ़ाना और मानवता को विकास करना है तो भारत का मार्ग ही श्रेयस्कर होगा।